BIADA

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना-800004

Website-www.biadabihar.in ;Email- biada-bih@gov.in Phone/Fax: 0612-2675352/2675296/2675889

कार्यालय आदेश

सर्वश्री भवानी फ्लोर मिल प्रा०लि० को पत्रांक 997 दिनांक 16.09.1997 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा में फ्लोर मिल की स्थापना हेतु 37160 वर्गफीट भूमि पर स्वीकृति प्रदान की गयी। इकाई उत्पादन में आने के उपरान्त बंद हो गई। इकाई को उत्पादन प्रारंभ करने एवं बकाया राशि का भुगतान करने हेतु पत्रांक 1231 दिनांक 16.05.2007 द्वारा कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया। परन्तु इकाई द्वारा उत्पादन कार्य प्रारंभ नहीं किया गया एवं निर्गत नोटिस का प्रतियुत्तर भी कार्यालय को अप्राप्त रहा। फलस्वरूप ज्ञापांक 1793 दिनांक 14.06.2007 द्वारा इकाई को हस्तानांतरित भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया। विखण्डित इकाई का स्वामित्व दिनांक 01.03.2008 को प्राधिकार के द्वारा ग्रहण कर लिया गया।

Debts Recovery Tribunal (DRT), Patna के R.P. No- 14/2006 के निष्पादन दिनांक 25.11.2009 द्वारा विखण्डित इकाई सर्वश्री भवानी फ्लोर मिल प्रा० लि०, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा के भूमि रकवा 37160 वर्गफीट को निलामी के तहत क्रेता सर्वश्री ओम श्री लक्ष्मी नारायण एडुकेशनल फाउण्डेशन लि० के पक्ष में किया गया। DRT के द्वारा निलामी में क्रय किये गये विखण्डित इकाई सर्वश्री भवानी फ्लोर मिल प्रा० लि० के भूमि के हस्तानांतरण सर्वश्री ओम श्री लक्ष्मी नारायण एडुकेशनल फाउण्डेशन लि० के पक्ष में करने हेतु वांछित कागजातों की मांग हेतु कार्यालय पत्रांक 360/डी दिनांक 25.01.2010 (यथा संशोधित पत्रांक 382/डी दिनांक 27.01.2010), पत्रांक 3525/डी दिनांक 27.05.2013, पत्रांक 5360/डी दिनांक 11.12.2015, पत्रांक 5425/डी दिनांक 27.12.2016, पत्रांक 1086/डी दिनांक 23.02.2017(अंतिम नोटिस), पत्रांक 4896/डी दिनांक 31.10.2017(अंतिम नोटिस), पत्रांक 1133/डी दिनांक 18.02.2019, पत्रांक 3081/डी दिनांक 02.05.2019 एवं पत्रांक 4931/डी दिनांक 08.08.2019 द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। परन्तु हस्तानांतरण से संबंधित कोई प्रकिया का पालन नहीं किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि उद्यमी विषयांकित भू-खण्ड पर उद्योग लगाने के प्रति उदासीन है एवं औद्योगिक क्षेत्र के भू-खण्ड को मात्र अपने कब्जे में रखे है। अतः बियाडा अधिनियम 1974, बियाडा (संशोधन) अधिनियम 1991 की धारा 6(2)(a) एवं 6(2)(b), बियाडा संशोधन अधिनियम 2017 तथा अन्य सुसंगत नियमों/प्रावधानों के तहत प्राधिकार द्वारा भूमि हस्तानांतरण के मद में जमा की गई राशि को जब्त करते हुए विखण्डित इकाई सर्वश्री भवानी फ्लोर मिल प्रा० लि०, को औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा में हस्तांतरित भूमि रकवा 37160 वर्गफीट के हस्तानांतरण सर्वश्री ओम श्री लक्ष्मी नारायण एडुकेशनल फाउण्डेशन लि० के पक्ष में करने हेतु आवेदन को निरस्त करते हुए, विषयांकित भूमि का स्वामित्व स्वतः ग्रहण करती है। भविष्य में विखण्डित इकाई सर्वश्री भवानी फ्लोर मिल प्रा० लि० को औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा में आवंटित/हस्तांतरित भूमि रकवा 37160 वर्गफीट पर सर्वश्री ओम श्री लक्ष्मी नारायण एडुकेशनल फाउण्डेशन लि० का किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

प्रबंध निदेशक का आदेश
दिनांक 17.01.2020

O/C

कार्यकारी निदेशक। 25/01/20

ज्ञापांकः- 296/D   दिनांकः- 25/01/2020

प्रतिलिपिः- सर्वश्री ओम श्री लक्ष्मी नारायण एडुकेशनल फाउण्डेशन लि०, 401, आशियाना चेम्बर, एक्जीविशन रोड, पटना- 800001/क्षेत्रीय प्रभारी/अमीन, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा/आई०टी० बियाडा, पटना /लेखा शाखा, बियाडा, पटना/प्रभारी, प्र०नि० कोषांग, बियाडा पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कार्यकारी निदेशक। 25/01/20